



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
लेखा एवं वित्त विभाग

Phone No. 0141-2710978
Fax No. 0141-2710978

क्रमांक : लेखा एवं वित्त / 2021 /

दिनांक :

कार्यालय आदेश

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 19.9.2019 तथा वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 5.11.2020, जो सिण्डीकेट के प्रस्ताव संख्या 6-1.23 दिनांक 29.12.2020 द्वारा अनुमोदित है, की पालना में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से प्राप्त शुल्क का 50 प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित इकाईयों एवं 50 प्रतिशत हिस्सा विश्वविद्यालय का नियत किया गया है। विश्वविद्यालय की हिस्सा राशि में से 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय पेंशन फण्ड में स्थानान्तरित की जायेगी। यह व्यवस्था वर्ष 2019-20 से लागू मानी गयी है।

Sl-
वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : लेखा एवं वित्त / 2021 / 1849-1899

दिनांक : 17/3/21

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. समस्त एस.एफ.एस. ईकाईयों, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. अनुभागाधिकारी, लेखा एवं वित्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/ग्रान्ट्स/पेंशन/पी.एफ., राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावलि।

Handwritten Signature
उप-कुलसचिव
लेखा एवं वित्त

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
लेखा एवं वित्त विभाग

Phone No. 0141-2710978
Fax No. 0141-2710978

क्रमांक : लेखा एवं वित्त / 2021 /

दिनांक :

कार्यालय आदेश

वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 5.11.2020, जो सिण्डीकेट के प्रस्ताव संख्या 6-1.23 दिनांक 29.12.2020 द्वारा अनुमोदित है, के अनुसार विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को देय सभी प्रकार के पारिश्रमिकों (स्ववित्त पोषित सहित) में से 10 प्रतिशत की कटौति तुरन्त प्रभाव से की जायेगी तथा यह राशि पेंशन फण्ड में स्थानान्तरित की जायेगी।

Sd/-
वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : लेखा एवं वित्त / 2021 / 1797-1847

दिनांक : 17/3/21

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. समस्त एस.एफ.एस. ईकाइयों, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. अनुभागाधिकारी, लेखा एवं वित्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/ग्रान्ट्स/पेंशन/पी.एफ., राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावलि।

[Signature]
उप-कुलसचिव
लेखा एवं वित्त



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
लेखा एवं वित्त विभाग

Phone No. 0141-2710978
Fax No. 0141-2710978

क्रमांक : लेखा एवं वित्त / 2021 /

दिनांक :

कार्यालय आदेश

वित्त समिति टेबल एजेण्डा 3 दिनांक 5.11.2020, जो सिण्डीकेट प्रस्ताव संख्या 6-1.23 दिनांक 29.12.2020 द्वारा अनुमोदित है, के अनुसार विश्वविद्यालय सिण्डीकेट के सदस्यों को परीक्षक के रूप में विश्वविद्यालय परीक्षाओं से जुड़े विभिन्न पारिश्रमिकों यथा पेपर सैटिंग, परीक्षक, इन्वीजिलेशन सेन्टर अधीक्षक, वाई-वॉ, उत्तर पुस्तिका जांच, निरीक्षण आदि नियमित विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्य हेतु पूर्व की भांति कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा। उपरोक्त परीक्षाओं के अतिरिक्त एक्स्ट्रा कार्य (Extra Work) (एस. एफ.एस. कोर्स सहित) के लिये कुलपति महोदय की पूर्व अनुमति से पारिश्रमिक दिया जा सकेगा।

Sd -
वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : लेखा एवं वित्त / 2021 / 1715-95

दिनांक : 17/3/2021

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. समस्त प्राचार्य, विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग, राज.वि.वि., जयपुर।
3. समस्त निदेशक, विश्वविद्यालय संस्थान/केन्द्र/पी.जी. स्कूल्स, राज.वि.वि., जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. अनुभागाधिकारी, लेखा एवं वित्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/ग्रान्ट्स, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
उप-कुलसचिव
लेखा एवं वित्त